

आदेश

10-01-23

पत्रावली पेश हुई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई परन्तु अनावेदकगण एक माह की अवधि में इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस प्रार्थना पत्र वकील आवेदक एक पक्षीय सुनी गई। वकील आवेदक ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कफर्म करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय का आदेश दिनांक 09.11.2022 को तादावा कफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। | निर्णय आज दिनांक 10.01.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


ए. सी. ई. एम. (सा. दे.)
नवलगढ़

